Case name

Passport Authority v. Government of India (1978)

Case

सरकार (डॉ. सुब्रत मुखर्जी) बनाम पी. अप्पाचू कुट्टन (पासपोर्ट अधिकारी) और अन्य, 2005 (5) एससीसी 722।

Brief Summary

यह मामला पासपोर्ट अधनियिम, 1967 की धारा 10 (3) की संवैधानकिता से संबंधित है, जो पासपोर्ट प्राधिकरण को पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में ऐसा करना आवश्यक है। अदालत ने जांच की कि क्या यह प्रावधान असंवैधानिक था, विशेष रूप से अपील तंत्र के अभाव में जब सरकार स्वयं आदेश पारित करती है।

Main Arguments

मुख्य तर्क धारा 10 (3) की संवैधानिकता के इर्द-गिर्द केंद्रित थे क्योंकि जब सरकार आदेश पारित करती है तो अपील तंत्र की अनुपस्थिति होती है। याचिकाकर्ता (डॉ. सुब्रत मुखर्जी) ने तर्क दिया कि यह प्रावधान असंवैधानिक था, जबकि प्रतिवादियों (पासपोर्ट अधिकारी और अन्य) ने तर्क दिया कि यह वैध था।

Legal Precedents or Statutes Cited

अदालत ने पासपोर्ट अधिनयिम, 1967 और भारत के संविधान सहित विभिन्नि कानूनों का हवाला दिया। अदालत ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविलि लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) बनाम भारत संघ, 1997 (1) एस. सी. सी. 301 के मामले सहित विभिन्निन्यायिक उदाहरणों पर भी भरोसा किया।

Quotations from the court

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब सरकार स्वयं कोई आदेश पारित करती है, तो अधिनियम के तहत कोई अपील प्रदान नहीं की जाती है। लेकिन, चूंकि शक्ति सर्वोच्च प्राधिकरण में निहित है, इसलिए यह धारा असंवैधानिक नहीं है।

Present Court's Verdict

उच्चतम न्यायालय ने अभनिरि्धारित किया कि धारा 10 (3) असंवैधानिक नहीं थी। अदालत ने कहा कि जब सरकार स्वयं कोई आदेश पारित करती है, तो यह माना जाना चाहिए कि उसने सावधानीपूर्वक जांच के बाद आदेश दिया होगा। अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि कोई अपील प्रदान नहीं की गई है, लेकिन शक्ति सर्वोच्च प्राधिकरण में नहिति है, और इसलिए, यह धारा असंवैधानिक नहीं है।

Conclusion

अंत में, सर्वोच्च न्यायालय ने पासपोर्ट अधनियिम, 1967 की धारा 10 (3) की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जब सरकार आदेश पारित करती है तो अपील तंत्र के अभाव में। अदालत का निर्णय सरकार के अधिकार के महत्व और आदेश पारित करते समय सावधानीपूर्वक जांच के अनुमान पर जोर देता है।